रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 579] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2011/चैत्र 15, 1933
No. 579] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2011/CHAITRA 15, 1933

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2011

आय-कर

का.आ. 694(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2011 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5ग में,—

   (क) "वैज्ञानिक" शब्द, जहां-जहां वे आते हैं का लोप किया जाएगा ;

   (ख) उप-नियम (1) के खण्ड (i) में, "खण्ड (ii)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्, "या खण्ड (iii)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

3. उक्त नियम के नियम 5घ के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

   "वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए किसी अनुसंधान संगम को धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) या खण्ड (iii) के अधीन अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

   5घ. (1) आवेदन अनुसंधान संगम का एकमात्र उद्देश्य, यथास्थिति, वैज्ञानिक अनुसंधान या सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकी अनुसंधान करना होगा ।

   (2) आवेदक अनुसंधान संगम स्वयं अनुसंधान क्रियाकलाप करेगा ।

   (3) धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) या खण्ड (iii) के अधीन अनुमोदन की ईप्सा करने वाला अनुसंधान संगम लेखा बहियां रखेगा और ऐसी बहियों की संपरीक्षा धारा 288 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित अकाउन्टेंट द्वारा कराएगा तथा ऐसे अकाउन्टेंट द्वारा

सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट मामले पर अधिकारिता रखने वाले आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक को धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर विवरणी देने की नियत तारीख को भेजेगा ।

(4)अनुसंधान संगम प्राप्त संदानों का और वैधानिक अनुसंधान या सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकी अनुसंधान के लिए उपयोग की गई राशि का पृथक विवरण रखेगा और ऐसे विवरण की संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रति उपनियम (3) में निर्दिष्ट संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ भेजेगा ।

(5) अनुसंधान संगम धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख तक आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक को निम्नलिखित से युक्त एक विवरण प्रस्तुत करेगा :-

(i) पूर्ववर्ष के दौरान उसके द्वारा किए अनुसंधान कार्य पर एक विस्तृत टिप्पण ;

(ii) वर्ष के दौरान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित अनुसंधान लेखों का संक्षिप्त विवरण ;

(iii) वर्ष के दौरान किसी पेटेंट या अन्य समान अधिकारों का आवेदन और उनका रजिस्ट्रीकृत किया जाना ;

(iv) आगामी वर्ष के दौरान किए जाने वाले अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम के लिए वित्तीय आबंटन ।

(6) यदि आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक का यह समाधान हो जाता है कि -

(क) अनुसंधान संगम लेखा बहियां नहीं रख रहा है ; या

(ख) अनुसंधान संगम अपनी संपरीक्षा रिपोर्ट देने में असफल रहा है ; या

(ग) अनुसंधान संगम ने अनुसंधान के लिए प्राप्त धन राशि और उपयोग की गई धनराशि का अपना विवरण या उपनियम (5) में निर्दिष्ट विवरण नहीं दिया है ; या

(घ) अनुसंधान संगम ने अपने अनुसंधान क्रियाकलाप करना बंद कर दिया है या उसके क्रियाकलाप प्रमाणिक नहीं हैं ; या

(ङ) अनुसंधान संगम उन शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है जिनके अधीन रहते हुए उसे अनुमोदन प्रदान किया गया था,

तो वह पर्याप्त पूछताछ करने के पश्चात् उपर्युक्त खंड (क) से खंड (ङ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा ।" ।

4. उक्त नियम के परिशिष्ट 2 में प्ररूप सं.3गच-1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप सं. - 3गच- 1

[नियम 5ग और 5घ देखिए]

अनुसंधान संगम के मामले में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) में खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन प्ररूप

1. (i) संगम का नाम और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

(ii) न्यास विलेख/रजिस्ट्रीकरण विलेख/संगम-ज्ञापन और अनुच्छेद की एक प्रति संलग्न करें और यदि संगम पहले ही अनुमोदित है तो अनुमोदन संख्यांक और नवीनतम अधिसूचना की तारीख लिखे [कृपया प्रति संलग्न करें] ।

(iii) यदि अनुमोदन पूर्व में वापस ले लिया गया हो तो उन कारणों का उल्लेख करें जिनके कारण अनुमोदन वापस लिया गया था [अनुमोदन/अनुमोदनों को वापस लेने वाले आदेश/आदेशों की प्रति संलग्न करें] ।

(iv) वह तारीख जिससे अनुमोदन की ईप्सा की गई है ।

2. संगम की विधिक प्रास्थिति :

क्या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है या कंपनी है या अन्य । (रजिस्ट्रीकरण/निगमन के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)

3. अनुसंधान संगम का उद्देश्य

4. (i) *संगम की अनुसंधान प्रयोगशाला/अनुसंधान सुविधा का पता (पते)*

(ii) स्थापना का वर्ष ;

(iii) संगम के उस अधिकारी का नाम और पता जो प्रयोगशाला/अनुसंधान सुविधा का भारसाधक है ;

(iv) संगम द्वारा चलाए जा रहे अनुसंधान क्रियाकलाप में लगे हुए कर्मचारियों की कुल संख्या ;

5. *संगम के स्वामित्वाधीन अनुसंधान प्रसुविधाओं और आस्तियों की सूची :*

(i) संयत्र और मशीनरी ;

(ii) भूमि और भवन, अर्जन की लागत सहित ;

(iii) कोई अन्य अनुसंधान प्रसुविधा/आस्ति, अर्जन की लागत सहित ;

6. संगम द्वारा हाथ में लिए गए अनुसंधान विषय और परियोजनाएं :

(i) संगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाएं, यदि कोई हों ;

(ii) अनुसंधान परियोजनाएं, जिन पर इस वर्ष के दौरान कार्य किया गया हो, और वे अनुसंधान परियोजनाएं जो पिछले वर्षों से चल रही है ;

(iii) किसी प्रख्यात राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पत्रिका में प्रकाशित अनुसंधान लेख ;

7. सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकी अनुसंधान में वैज्ञानिक अनुसंधान या अनुसंधान के अन्य विवरण :

(i) विकसित नए उत्पाद, संक्रियाएं, पद्धतियां और तकनीक ;

(ii) विद्यमान उत्पादों, संक्रियाओं, पद्धतियों, तकनीकों में सुधार ;

(iii) आयात किए जाने वाले उत्पादों का स्थान लेने वाले उत्पाद ;

(iv) फाइल किए गए, अभिप्राप्त पेटेंट, यदि कोई हों, और यदि है, तो किसके नाम में ?

(v) क्या उपर्युक्त (i) में वर्णित उत्पाद, संक्रियाएं, पद्धतियां और तकनीकें वाणिज्यिक बनाई गई है या क्रियान्वित की गई है और यदि की गई है तो किसके द्वारा ?

(vi) विकसित नए सिद्धांत/माडल ;

(vii) नई परिकल्पनाएं जो व्यापक रूप से स्वीकार की गई ;

(viii) प्रतिलिप्याधिकार के लिए आवेदन किया गया/प्राप्त किए गए ;

(ix) पेटेंट या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्हों से उपार्जन, यदि कोई हों ।

8. संगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान संचालित संगोष्ठियों, सम्मेलनों कार्यशालाओं और प्रशिक्षण पाठयक्रमों आदि, के ब्यौरे, और संगम द्वारा चलाए जा रहे अनुसंधान क्षेत्र या किए गए क्रियाकलाप के लिए ऐसे आदान-प्रदान की सुसंगतता के संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पण संलग्न करें ।

9. भविष्य में अनुसंधान के लिए अनुध्यात कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रमों पर होने वाले संभावित व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय परियोजनाएं ।

10. (i) संगम के आय के स्रोत (पिछले तीन वर्षों के लिए)

(ii) निर्धारण विशिष्टियां उपदर्शित करें :

(स्थायी खाता संख्यांक, वार्ड/सर्किल, यदि कर का निर्धारण किया गया हो)

(iii) आय की अंतिम विवरणी कब प्रस्तुत की गई थी ?

11. पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान संगम द्वारा प्राप्त की गई और अनुसंधान के लिए वास्तविक रूप से उपयोग की गई रकम :

वर्ष	प्राप्त राशि			स्तंभ (2) में की रकमों में से अनुसंधान के लिए वास्तविक रूप से उपयोग की गई रकमें
(1)	(2)			(3)
	संदान	अनुदान	योग	

12. दानदाताओं की सूची संलग्न करें, जिसमें उनके नाम, पूरे डाक पते और उनमें से प्रत्येक के द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान संगम को संदत्त रकम दर्शित की जाए (पचास हजार रुपए से अधिक राशि देने वाले दानदाताओं के स्थायी खाता संख्यांक का वर्णन करें)

13. पिछले तीन वर्षों के संगम के संपरीक्षित वार्षिक लेखाओं की प्रति संलग्न करें ।

14. ऊपर मद 10 में वर्णित वर्ष के दौरान अनुसंधान के लिए उपयोग नही की गई रकमों से किए गए विनिधान :

(i) बैंक में सावधि निक्षेप ;
(ii) कंपनियों में सावधि निक्षेप ;
(iii) सरकारी प्रतिभूतियां ;
(iv) शेयर, डिबेंचर आदि ;
(v) हाथ नकदी ;
(vi) अन्य, यदि कोई हो, जो (i) से (v) में नहीं आते हैं ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है

स्थान.....

तारीख .....

हस्ताक्षर

पदनाम

पता

उपाबंध

धारा 10(21) के अधीन छूट का दावा करने वाले अनुसंधान संगम द्वारा प्रस्तुत किया जाए

वित्तीय वर्ष .....

1. वर्ष के दौरान प्राप्त स्वैच्छिक अभिदायों सहित संगम की कुल आय

2. ऊपर मद 1 में निर्दिष्ट आय की ऐसी राशि जो संगम के उद्देश्यों के लिए पूर्णतः और अनन्यतः उपयोग की गई है या उपयोग की गई समझी गई है

3. संगम के उद्देश्यों के लिए संचयित राशि ।

4. (i) ऐसे निवेशों या निक्षेपों की प्रकृति, उनका मूल्य और उनसे होने वाली आय दर्शित करते हुए उन ढंगों का ब्यौरा दीजिए जिनमें संगम की निधियों का निवेश या निक्षेप किया जाता है ।

(ii) ऐसी निधियों का ब्यौरा, जिनका धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट ढंगों में निवेश नहीं किया गया है

क्रम सख्यांक	समुत्थान का नाम और पता	कंपनी के मामले में धारित शेयरों की संख्या और वर्ष	निवेश का अंकित मूल्य	निवेश से आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1239 GI/11-2

5. (i) क्या संगम कोई कारबार कर रहा है (ब्यौरा दें)

(ii) क्या कारबार उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के आनुषंगिक है ?

(iii) क्या ऐसे कारबार के संबंध में पृथक लेखा बहियां रखी गई हैं ?

6. अभिदायों की प्रकृति मात्रा और मूल्य संबधी ब्यौरा (नकदी से भिन्न और वह रीति जिसमें ऐसे अभिदायों का उपयोग किया गया है)

7. संगम द्वारा या उसकी ओर से निम्नलिखित से क्रय किए गए शेयरों, प्रतिभूतियों और अन्य संपत्ति का ब्यौरा :

(i) संगम का संप्रवर्तक ;

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने संगम को एक लाख रुपए से अधिक का अभिदाय किया है ;

(iii) जहां हिन्दू अविभक्त कुटुंब संप्रवर्तक है, वहां हिन्दू अविभक्त कुटुंब का कोई सदस्य ;

(iv) संगम का प्रबंधक (जिस नाम से भी पुकारा जाए) ;

(v) संप्रवर्तक, सदस्य या प्रबंधक का नातेदार :

(vi) कोई समुत्थान जिसमें उपमद (i) से (v) तक में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति सारवान हित रखता है ।

8. क्या संगम की आय का कोई भाग या उसकी किसी संपत्ति का ऐसी रीति में प्रयोग या उपयोग किया गया था जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी हितबद्ध व्यक्ति को कोई फायदा, सुविधा, परिलब्धि (चाहे धन में संपरिवर्तित हो या नहीं) प्राप्त हुई है । यदि ऐसा है तो उसका ब्यौरा दीजिए ।

9. धारा 10(21) के पहले परंतुक द्वारा यथा लागू धारा 11(3) के आधार पर संगम की आय समझी गइ रकम ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम ज़ानकारी और विश्वास के अनुसार सही है

स्थान.....

तारीख .....

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

पूर्ण पता.....”

[अधिसूचना सं. 19/2011/फा. सं. 142/3/2011-टीपीएल]
आशीष कुमार, निदेशक (टीपीएल-1)

टिप्पण : मूल नियम अधिनियम सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और 2 उनमें अंतिम संशोधन आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 अधिसूचना सं. का.आ. 647(अ), तारीख 29 मार्च, 2011 द्वारा किया गया ।